महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या - 09/2018/170/38-10-2018-9/18

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक : 01 अगस्त, 2018

विषय : प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लोगों को उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कराकर प्रभावी रूप से लागू कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 05/2018/149/38-10-2018-9/18 दिनांक 12 जुलाई, 2018 एवं तदविषयक शासनादेश संख्या: 06/2018/152/38-10-2018-9/18 दिनांक 13 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्तमान में प्रदेश में संचालित विकास, कल्याणकारी एवं लाभार्थीपरक योजनाओं, यथा-विभिन्न पेंशन, अन्त्योदय राशन कार्ड/पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत (आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन) छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन करने के उददेश्य से सर्वेक्षण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-4 में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए जाने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। तत्क्रम में **अगस्त, 2018 के प्रथम सप्ताह तक** सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाना है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी के निर्देशन में एन0आई0सी0 के समन्वय से विभागीय जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा सर्वेक्षित ऑकड़ों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कराया जाना वांछित है।

अत: उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 2018 के अनुपालन में सर्वेक्षण विषयक समेकित कार्य निर्धारित समयान्तर्गत अवश्यमेव पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या- 09/2018/170(1)/38-10-2018-9/18 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, खाद्य एवं आपूर्ति, नगर विकास एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा0 हरिश्चन्द्र
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।